बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी में सभी खातेदार काश्तकार का इंच इंच पर हक अधिकार निहित होता है, साथ ही एक खातेदार के हक हिस्से में अन्य खातेदार द्वारा दखलन्दाजी की जाना अनुचित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में साबित होता है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। अतः प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रथम दृष्टया मामला गैरसायलान के विरूद्ध साबित हुआ है। साथ ही वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक खातेदार का अपने हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है एवं मौके पर किसी अन्य खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी में अन्य सहखातेदारान की कब्जा काश्त की जमीन पर जबरदस्ती दखलअंदाजी करना विधि विरूद्ध है। अतः सायलान के हक तक वादग्रस्त आराजी में सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में ही निहित होना साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** प्रथम दोनों बिंदू सायलान के पक्ष साबित हुए है। हस्तगत प्रकरण में सायलान व गैरसायलान अभिलिखित खातेदार है। गैरसायलान सायलान की मौके व कब्जा काश्त की भूमि पर दखलअंदाजी करते आ रहे है। यदि गैरसायलान अपने मंसूबो में कामयाब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सायलान को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार यदि सायलान के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो सायलान को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक **उभयपक्षकारान** को वादग्रस्त आराजी का मौके व राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र सायलान अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **उभयपक्षकारान्** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद सरहद मौजा रामदेव की ढाणी पटवार हल्का देवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा तहसील जैतारण जिला ब्यावर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 465 रकबा 5.7061 हैक्टयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 470 रकबा 5.2285 हैक्टयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 503 रकबा 0.0324 हेक्टयर किस्म

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज०

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण, जिला–ब्यावर

गै.मु. खड्डा, खसरा नम्बर 504 रकबा 2.2581 हैक्टयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 505 रकबा 2.4767 हैक्टयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 506 रकबा 0.0647 हैक्टयर किस्म गै.मु. खड्डा, खसरा नम्बर 507 रकबा 0.0971 हैक्टयर किस्म गै.मु. खड्डा, खसरा नम्बर 508 रकबा 0.2185 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सडा, खसरा नम्बर 509 रकबा 0.0243 हैक्टयर किरम गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 510 रकबा 7.8590 हैक्टयर किस्म चाही सोयम के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण - राज0

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण, जिला-ब्यावर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण, जिला-ब्यावर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)